



SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.

Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India

Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/09/SFCF/117

Date:- 16-09-2025

सेवा में,

- 1 – माननीय कुलपति जी, चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।
- 2 – श्रीमान कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विवि०, मेरठ।

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में प्रतिपाद व्यवस्था के कारण अग्नि शमन अनापत्ति की बाध्यता 15 मीटर से कम उचाई वाले भवन में समाप्त किये जाने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

अप कृपया उपरोक्त विषय पर सादर अवगत हो की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में अपने आदेश दिनांक 10 सितम्बर 2025 में स्पष्ट किया है की


(5) Admittedly, as per National Building Code of India, 2016, 4 NOC from the officer concerned of the Fire Department was not necessary for educational buildings which were below 15 metres in height. Appellant's society was running the educational institution from a building having height of 14.20 metres. Given this situation, appellant's society and other educational institutions had instituted writ proceedings in WP No. 14542/2018 before the High Court and prayed for renewal of affiliation without insisting on fire NOC from the State Disaster Response and Fire Services Department.

(6) By order dated 25.04.2018, the writ petition came to be allowed and directions were issued upon the Education Department to renew affiliation without insisting on furnishing fire NOC. Due to non-compliance of such direction vide letter dated 01.07.2019 contempt notice was issued upon Education as well as the Fire Department.


अतः माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट कार्यवाही में पारित आदेश से स्पष्ट है कि 15 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों में शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता/संबद्धता नवीनीकरण के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी आवश्यक नहीं है। इस विषय में आपसे अनुरोध है की कृपया विवि० से सम्बद्ध ऐसे शिक्षण संस्थान जो की 15 मीटर से कम उचाई में संचालित है उनमे अग्निशमन प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करने के लिए सम्बंधित को आदेशित करने की कृपा करे।

आदर सहित।


सलग्न :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति


(एड० नितिन यादव)


राष्ट्रीय अध्यक्ष


(डॉ० राजीव गुप्ता)


राष्ट्रीय महासचिव


प्र० (डॉ०) निधि शुक्ला


राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष


(डॉ० अनिल शर्मा)

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष


प्र० (डॉ०) आनन्द सिंह

राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव


(डॉ० शिवपाल सिंह)

वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश



पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है। पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।

